न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल आर एक्ट संख्या 00001/2019/भीलवाड़ा

1. मोती पुत्र मोहनलाल जाति रेगर निवासी दौलतगढ तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा।

—अपीलांट

बनाम

1. श्रीमति लेहरी पुत्री रामदास पत्नि श्रवणदास कामड़(बलाई) निवासी दौलतगढ हाल निवासी धोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा।
2. श्रीमति सोहनी पुत्री रामदास कामड निवासी दौलतगढ़ हाल धोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा।
3. हीरादास पुत्र गोरू मु0 रामदास कामड़(बलाई) निवासी दौलतगढ़ हाल निवासी बड़ली तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा।

—रेस्पोडेण्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा, दिनांक 31.10.2018 अपील संख्या 58/2017 उनवानी श्रीमति लेहरी बनाम हीरादास में पारित किया गया।

———————————————————

उपस्थित अभि0:— श्री एम0एल0गुर्जर (अपीलांट अभि0)

रेस्पोडेंट अभिभाषकः— श्री रोहित सोनी

राजकीय अभिभाषकः—श्री आकाश पारीक

निर्णय दिनांकः—29.03.2023

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट 1 व 2 की माता जमकू बेवा रामदास को ग्राम दौलतगढ़ तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा में आराजी नम्बर 3085 रकबा 62 बीघा 11 बिस्वा में से 3 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। इस आवंटन के बाद नामातंरण संख्या 201 दिनांक 24.04.1971 से उक्त खसरा नम्बर 3191/3085 रकबा 3 बीघा के रूप में राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया गया। सैटलमेंट के बाद इसके नये खसरा नम्बर 3075 रकबा 0.24 हे0, 3076 रकबा 0.11 हे0, 3077 रकबा 0.10 हे0, 3078 रकबा 0.26 हे0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.7100 हे0 भूमि राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हुई। खातेदार जमकू बेवा रामदास कामड़ की मृत्यु के बाद विरासती नामातंरण राजस्व कैम्प में वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 3 हिरादास द्वारा अपने नाम तहसीलदार आसीन्द से करवा लिया है। इस बाबत नामातंरण संख्या 1008 दिनांक 26.05.1992 स्वीकृत किया गया। हिरादास ने भूमि को वर्तमान अपीलांट को दिनांक 30.06.2017 को विक्रय किया। जानकारी प्राप्त होने पर रेस्पोडेंट 1 व 2 के द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने नामातंरण संख्या 1008 दिनांक 26.05.1992 बाबत अपील प्रकरण संख्या 58/2017 दर्ज करवाया गया। जिस पर बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 31.10.2018 को जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा अपील स्वीकार कर नामातंरण संख्या 1008 दिनांक 26.05.1992 को अपास्त कर जमकू की विरासत स्वरूप से दर्ज करने हेतु तहसीलदार आसीन्द को रिमाण्ड की गई थी। जिला कलक्टर भीलवाड़ा के इस निर्णय से व्यथित होकर वर्तमान अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत की गई है—

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:16 IST
Reason: SelfAttested

1. अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर नही दिया गया।

2. जमकू के मात्र तीन लड़कियां लहरी, सोहनी, कंकू है। इनकी रजामंदी से ही जमकू बेवा रामदास ने हिरादास पुत्र गोरू को अपनी सेवा के लिए रखा था। जमकू की मृत्यु के बाद उसकी सारी रश्में हिरादास द्वारा ही करना बताया गया।

3. अपीलांट द्वारा विवादित आराजीयात को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 30.06.2017 को क्रय किया गया था। सिविल न्यायालय द्वारा ही पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

4. 25 वर्ष बाद अपील मियाद बाहर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मियाद के बिन्दु पर अनिर्णित रखते हुए अंदर मियाद शुमार कर स्वीकार करने में भूल की है।

5. रेस्पोडेंट 1 व 2 द्वारा नामातंरण खुलते वक्त सहमति दी थी और अब उक्त नामातंरण बाबत चुनौती नहीं दी जा सकती है।

6. उपखण्ड अधिकारी आसीन्द में नियमित वाद प्रस्तुत किया है। जिसका अंतिम रूप से निर्णय होना है। वाद निर्णय तक नामातंरण की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिए था। अंत में निवेदन किया कि जिला कलक्टर भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 31.10.2018 निरस्त यिका जाये। साथ ही तहसीलदार आसीन्द स्वीकृत नामातंरण संख्या 1008 दिनांक 26.05.1992 को बहाल किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया।

अपील कार्यवाही के दौरान रेस्पोडेंट की तरफ से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 18.05.2020 को रेस्पोडेंट संख्या 3 हिरादास दिनांक 18.05.2020 को लाऔलाद बिला औरत फौत हो गया। उसके नाम के आगे मृतक शब्द लिखा जायें।

स्थगन प्रार्थना पत्र में अपीलांट ने कहा है कि विवादित भूमि उसके द्वारा विक्रय पत्र से खरीदी गई है और खरीद दिनांक से आज तक मौके पर काबिज चला आ रहा है। पालना यदि स्थगित नहीं की गई तो अप्रार्थी राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करवाकर प्रार्थी को भूमि से बेदखल कर मौके पर काबिज होकर भूमि का कई व्यक्तियों को बेचान कर देगें। जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में बताया है। अंत में निवेदन किया कि जिला कलक्टर भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 31.10.2018 की पालना अपील निस्तारण तक स्थगित रखी जायें। राजस्व रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जायें। बहस सुनी गई। बहस में वकील अपीलांट और रेस्पोडेंट उपस्थित रहे। वकील अपीलांट के अनुसार विवादित भूमि जमकू को आवंटित की गई थी। जमकू ने हिरादास को गोद रखा था। जमकू की मृत्यु के बाद हिरादास के नाम तहसीलदार आसीन्द द्वारा नामातंरण संख्या 1008 दिनांक 26.05.1992 को स्वीकृत किया गया। हिरादास द्वारा अपीलांट मोती को भूमि विक्रय की गई। अन्य विक्रय से ओमप्रकाश पुत्र मोहन को भूमि विक्रय की गई है। जिला कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष लहरी और सोहनी द्वारा अपील की गई है तथा उनके द्वारा दिनांक 16.08.2017 को एक दावा धारा 92ए, 88 में प्रस्तुत किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर लहरी व सोहनी द्वारा धारा 5 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। मियाद प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा जानकारी दिनांक अंकित नहीं की गई है तथा देरी के आवश्यक कारण नहीं बताये है। अपील भी 25 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:16 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय की जानकारी पड़ौसी द्वारा होना बताया है। पड़ौसी का नाम नहीं बताया है। जिला कलक्टर द्वारा धारा 5 पर विशेष विवरण नहीं दिया गया है। वकील अपीलांट द्वारा डीएनजे/सुप्रीम कोर्ट/एच/354/आरबीजे/2010 पेज 289, आरआरडी 1993 पेज 43 बाबत जिक्र किया। लहरी द्वारा वादपत्र दिनांक 16.08.2017 को पेश किया गया था। जबकि विक्रय पत्र दिनांक 30.06.2017 का है। वाद के विचाराधीन रहते नामातंरण नहीं खोला जाना चाहिए। आरआरडी 1985 पेज 170 का जिक्र किया। अपील दिनांक 15.09.2017 को पेश की गई थी। लहरी द्वारा वाद बाबत जानकारी छुपाई गई है। वाद निस्तारण तक अपील में कार्यवाही स्टे की जायें। हिरादास द्वारा अन्य व्यक्तियों को भी विक्रय किया गया है। उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है।

बहस सुनी गई। बहस में रेस्पोडेंट अभिभाषक द्वारा बताया गया कि भूमि हमारी माता को आवंटित हुई थी। हिरादास ने नामातंरण अपने पक्ष में खुलवा लिया। जबकि प्राकृतिक वारिसान की कोई सहमति नहीं थी। कंकू की मृत्यु हो चुकी है। प्रथम अपील में हिरादास नहीं आया था। उसका जवाब बंद किया गया। धारा 5 हमारी स्वीकार की गई। विवादित भूमियों के 4 नये नम्बर बनें। अपीलांट द्वारा सिर्फ 2 ही नम्बर क्रय किये गये। दावा क्रय-विक्रेताओं को करना था। वाद की कोई पत्रावली नहीं है। एलआरएक्ट में व्यथित पक्षकार होना यह आवश्यक है। धारा 96 सीपीसी जरूरी है। अपीलांट का अधिकार 2017 में बना है। रिब्युटल में अपीलांट अभिभाषक ने बताया कि सन् 1992 में भी प्राकृति वारिसान थे। दावे में मोहन व अन्य को पक्षकार बनाया है।

बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं पत्रावली पर उलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील को मियाद अवधि के संदर्भ में देखा गया। अपीलाधीन आदेश द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 31.10.2018 का है। उक्त निर्णय की अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 28.12.2018 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना पाया जाता है। अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि चूंकि अपीलांट के नाम नामातंरण को जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा अपने निर्णय से अपास्त कर दिया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

दिनांक 07.04.2022 को रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी के अनुसार दिनांक 18.05.2020 को हिरादास लाऔलाद बिना औरत फौत हो चुका था। हिरादास का नाम तर्क करने बाबत प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलांट द्वारा सहमति जताई गई तथा हिरादास का नाम तर्क करने का आदेश दिया गया। उसके नाम के आगे मृतक शब्द लाल स्याही से अंकित करने का आदेश दिया गया।

विवादित नामातंरण संख्या 1008 दिनांक 26.05.1992 का अवलोकन किया गया। उक्त नामातंरण की पुश्त पर यह बयान अंकित है "मै हिरादास पिता गोरू बलाई(कामड़) उम्र 55 पेशा रामदेव मंदिर की सेवा व कृषि निवासी दौलतगढ़ शपथपूर्वक बयान करता हूं कि मु0 जमकू मेरी मामी लगती थी। इनकी जाइन्दा तीन लड़की लहरी, सोहनी, कंकू है। जो ससुराल में रहती है। इनकी रजामंदी से मेरी मामी ने मुझे सेवा करने के लिए रखा था। मेरे द्वारा उनकी सेवा चाकरी की गई। अब उनके देवलोक होने के बाद मेरे द्वारा ही जाति रिवाज के अनुसार सभी प्रकार की प्रक्रिया पूर्ण की गई। रामदास की पगड़ी मेरे बंदी थी। इसलिए ग्राम दौलतगढ़ के खाते की भूमि अपने नाम करवाना चाहता हूं। अगर भविष्य में तीनों जाइन्दा पुत्रीयों द्वारा कोई आपत्ति करेगी तो मेरी जिम्मेदारी होगी। यह बयान मैंने बिना नशेपते व अकल होशियारी से किये है। जो समग्र है। उपरोक्त नामातंरण मात्र से स्पष्ट है कि जमकू के

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:16 IST
Reason: SelfAttested

तीन पुत्रीयां है। जिनमें से कंकू की मृत्यु होना बताया है और उक्त नामातंरण तहसीलदार के आदेश पर खोला गया है। जो उचित नहीं है। क्योंकि जब जानकारी हो चुकी थी कि जमकू के तीन पुत्रीयां है तो उनके नाम भी नामातंरण खोला जाना चाहिए था। मगर तहसीलदार आसीन्द के द्वारा बिना किसी सक्षम दस्तावेज यथा गोदनामा, पगड़ी बंधाईनामा कोई दस्तावेज, कोई स्वतंत्र गवाह के बयान, जमकू की सहमति बाबत कोई दस्तावेज न होते हुए भी बहुत ही मनमाने तरीके से तहसीलदार आसीन्द द्वारा आदेश दिया जाकर विवादित नामातंरण खोला गया है।

रेस्पोडेंट 1 व 2 जमकू की पुत्रीयां होने से व्यथित पक्षकार ही है। क्योंकि जो नामातंरण उनके पक्ष में खोला जाना चाहिए था। वह हिरादास के पक्ष में खोला गया। अतः अपीलांट का यह आक्षेप निराधार है कि बिना धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र के अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज की जानी चाहिए थी। अपीलाधीन आदेश में कोई नया नामातंरण नहीं खोला गया है। अपितु विवादित नामातंरण को निरस्त करके पुर्नजांच हेतु कहा गया है। अपील पत्रावली में विचाराधीन वाद पत्र बाबत कोई प्रमाणित न्यायालय आदेशिका या वादपत्र की कोई प्रमाणित प्रतिलिपी पेश नही की गई। अपीलांट द्वारा सिर्फ 2 खसरा नम्बर ही क्रय किये गये है। जबकि पुराने खसरा नम्बर से नये खसरा नम्बर 4 बने है। अपीलांट के इस कथन बाबत की जमकू ने हिरादास को गोद रखा था, पत्रावली पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नही करवाया है। जिससे अपीलांट के इस कथन बाबत कोई पुष्टि होती हो। हिरादास के खाते में जमाबंदी संवत 2072–75 ग्राम दौलतगढ़ के अनुसार 4 खसरा नम्बर 3075, 3076, 3077,3078 थे। जिनमें से मात्र दो खसरा नम्बर 3077 और 3078 दिनांक 30.06.2017 को मोतीलाल को क्रय किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जब अपील को अंदर मियाद मान लिया गया था। तो उस पर अपीलीय न्यायालय में विचार किया जाना उचित नहीं होगा। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से कोई नया नामातंरण नहीं खोला गया। मात्र जमकू के सही वारिसान की जांच करने हेतु निर्णय में रिमाण्ड किया गया था। अतः उक्त विवेचन से यह सिद्ध है कि रेस्पोडेंट 1 व 2 जमकू की पुत्रीयां है। जमकू की अन्य पुत्री कंकू की मृत्यु हो चुकी है। जमकू का विरासत बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के प्राकृतिक वारिसान के होते हुए हिरादास के पक्ष में गलत रूप से खोला गया है। रेस्पोडेंट 1 व 2 सही रूप से अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर व्यथित पक्षकार है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित नामातंरण को सही रूप से निरस्त कर पुर्नजांच हेतु रिमाण्ड किया गया है। अपीलांट को इस स्टेज पर कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अपील द्वारा अपीलांट खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 58/2017 बउनवानी लहरी एवं अन्य बनाम हिरादास एवं अन्य विरूद्ध आदेश तहसीलदार आसीन्द क्रमांक 1 दिनांक 26.05.1992 नामातंरण संख्या 1008 दिनांक 26.05.1992 निर्णय दिनांक 25.10.2018 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:16 IST
Reason: SelfAttested

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर